पत्रांकः-वि०प्र०-12-56/2010.....3882...../**वि०,**

बिहार सरकार

वित्त विभाग दि० 03/05/2023

संकल्प

विषय :- विभिन्न न्यायिक वाद में राज्य सरकार की ओर से तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु विद्वान अधिवक्ताओं/सेवानिवृत सरकारी सेवकों के शुल्क/पारिश्रमिक का पुनरीक्षण।

वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3727 दिनांक-30.04.2009 द्वारा विभिन्न न्यायिक वाद में राज्य सरकार की ओर से तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु विद्वान अधिवक्ताओं/सेवानिवृत सरकारी सेवकों की सेवाएँ कतिपय शुल्क के आधार पर प्राप्त करने संबंधी संसूचित निर्णय के क्रम में कालांतर में क्रमशः संकल्प ज्ञापांक-7248 दिनांक-04.08.2011 एवं संकल्प ज्ञापांक-487 दिनांक-15.01.2014 द्वारा शुल्क/पारिश्रमिक का पुनरीक्षण हुआ ।

सम्प्रति संकल्प ज्ञापांक-487 दिनांक-15.01.2014 द्वारा प्रभावी अनुमान्यता निम्नवत् हैः-

क्र.	**मद का संदर्भ**	**अधिकतम अनुमान्य राशि**
1.	प्रति वाद तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु	₹1200/- (एक हजार दो सौ रूपये)
2.	तथ्य विवरणी प्रारूप की प्रति अंग्रेजी में टंकण हेतु	₹ 300/- (तीन सौ रूपये)

2. वर्ष 2014 में निर्धारित उक्त अनुमान्यता के पश्चात काफी समय बीत जाने के कारण सम्यक विचारोपरांत यह आवश्यकता पाई गई कि तथ्य विवरणी तैयार करने की प्रक्रिया में निहित मदों का शुल्क पुनरीक्षित किया जाय ।

3. इस हेतु दिनांक-24.04.2023 को आहूत बैठक में समिति द्वारा विचार-विमर्श के उपरांत की गई अनुशंसा के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुरूप शुल्क/पारिश्रमिक का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता हैः-

क्र.	**मद का संदर्भ**	**अधिकतम अनुमान्य राशि**
1.	**प्रत्येक तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु**	₹**2000/-** (दो हजार रूपये)
2.	**तथ्य विवरणी प्रारूप की प्रति अंग्रेजी में टंकण हेतु (आशुलेखन सहित)**	₹**500/-** (पाँच सौ रूपये)

4. शुल्क/पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित प्रशासी विभाग के बजट उपबंध के अंतर्गत विषय शीर्ष-13 05-विधि प्रभार मद में उपबंधित राशि से अनुमान्य होगा ।

5. तद्नुसार एतद्संबंधी पूर्व निर्गत आदेश उक्त हद तक संशोधित समझा जाय ।

6. यह आदेश निर्गत तिथि से प्रभावी होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन) 03/5/2023

ज्ञापांकः-वि०प्र०-12-56/2010.....3882...../**वि०,** **पटना, दिनांक**...03/05/2023

प्रतिलिपिः-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव (संसाधन)।
03/5/2023

ज्ञापांकः-वि०प्र०-12-56/2010......3882....../**वि०**, **पटना, दिनांक**....03/05/2023

प्रतिलिपिः-प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव (संसाधन)।
03/5/2023

ज्ञापांकः-वि०प्र०-12-56/2010......3882....../**वि०** **पटना, दिनांक**....03/05/2023

प्रतिलिपिः-माननीय वित्त मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव (संसाधन)।
03/5/2023

ज्ञापांकः-वि०प्र०-12-56/2010......3882....../**वि०** **पटना, दिनांक**.03/05/2023

प्रतिलिपिः-ई-गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव (संसाधन)।
03/5/2023